उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या:08/2022/1492181/12-2099/193/2021
लखनऊ: दिनांक: 10 फरवरी, 2022

<u>कार्यालय-आदेश</u>

कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय, जनपद भदोही के निर्माण की लागत धनराशि रू. 76.11 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रथम किश्त के रूप में रू. 38.055 लाख, तथा, कृषि रक्षा अधिकारी, मिर्जापुर एवं उप कृषि निदेशक, कृषि रक्षा, विन्ध्याचल मण्डल, मर्जापुर के कार्यालय की बाउण्ड्रीवाल एवं सी.सी. रोड निर्माण की लागत धनराशि रू. 25.04 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि रू. 12.52 लाख अर्थात कुल धनराशि रू. 50.575 लाख (पचास लाख सत्तावन हजार पांच सौ रूपये मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एतदद्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-24-वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू. 100.00 लाख के सापेक्ष, श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 के आलोक में आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी है। प्रश्नगत धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
4. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर निर्गत तद्संबंधी शासनादेशों तथा नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।
6. प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पूर्ण विवरण सहित यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्ही मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
9. स्वीकृत धनराशि से निर्माण सामग्री आदि के क्रय हेतु क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
10. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी।
11. धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
12. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

http://sirsanadesh.up.gov.in

13. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14. धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनॉक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत धनराशि का आरण एवं व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्ष 4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-107-वनस्पति संरंक्षण-04-विभिन्न पारिस्थितकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जाएगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: ई-1-3539-दस-2021-22, दिनॉक 09 फरवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:08/2022/ 1492181(1)/12-2099/193/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या: 1305/कृ.र./लेखा/की.रो.नि.यो./2021-22, दिनॉक 16 दिसम्बर, 2021 के सन्दर्भ में,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
6. अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://sansadresh.up.gov.in